इंडियन ऑयल (विपणन प्रभाग Marketing Division)

पंजाब राज्य कार्यालय, इंडियनऑयल भवन, प्लॉट नं.3-ए, सैक्टर-19ए, मध्यमार्ग, चण्डीगढ़-160019.

अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण सूचना

इच्छुक पार्टियों से (पूर्ण रूप से इंडियनऑयल के प्रयोगार्थ अलग परिसर) गेस्ट हाऊस के लिए जम्मू में स्थित परिसर पट्टे पर लेने हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती हैं।

1.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति सं.	PBSO/GH-Jammu/EOI 1.0
2.	लोकेशन/गेस्ट हाऊस के लिए भवन का क्षेत्र तथा अपेक्षाएं	

		,	
1	गेस्ट हाऊस की लोकेशन	गांधी नगर, त्रिकुटा नगर, सैनिक कॉलोनी तथा जम्मू शहर का चन्नी क्षेत्र,	
		परिसर/भवन का अच्छे से रखरखाव किया होना चाहिए, बढ़िया क्षेत्र में मुख्य	
		सड़क से आसान पहुंच में स्थित होना चाहिए।	
2	परिसर में होना चाहिए	- न्यूनतम 5 उपयुक्त साईज के कमरे (संबद्ध टॉयलेट के साथ)	
		- ड्राईंग तथा डायनिंग कक्ष	
		- भण्डारण क्षमता सहित कीचन	
		- खुला बगीचा/आंगन/मैदान	
		- खुली बालकनी तथा कार पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान	
		- संरक्षित प्रवेश द्वार	
3	जगह	सामने बच्चों के खेलने/बैठने/कार पार्किंग इत्यादि हेत् पर्याप्त खुली जगह	
		लेकिन बाउण्डरी के अन्दर	
4	भवन की आयु	परिसर भवन ढांचा 10 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए	
5	बिजली कनेक्शन तथा पानी	- परिसर अभिष्ट उपयोग हेतु अपेक्षित पावर लोड तथा उपयुक्त पावर के	
	भण्डारण	कनेक्शन तथा पर्याप्त पानी भण्डारण क्षमता से युक्त होना चाहिए। जरूरत	
		पड़ने पर वास्तविक लोड की जरूरत के अनुसार लोड बढ़ाया जाना चाहिए।	
		- भवन पूर्ण पावर बैक-अप की सुविधा से सुसज्जित हो या भवन का चुनाव	
		होने के उपरांत ऐसी सुविधा उपलब्ध करा देने का वादा होना चाहिए ।	
		-	
6	पार्किंग स्थल	- परिसर में न्यूनतम 4 वाहनों के लिए पार्किंग स्थल होना चाहिए	
7	सुसज्जित करने हेतु आवश्यकता	- कमरों तथा गेस्ट हाऊस की साज-सज्जा जरूरतें इंडियनऑयल द्वारा वहन	
		की जाएगी ।	

परिसर को पट्टे पर देने हेतु निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों की अनुपालना होनी चाहिए

- a) प्रोपर्टी की पट्टा अविध 5 वर्ष होगी । इसे आपसी सहमति से अगली अविध के लिए बढ़ाया जा सकता है ।
- b) यदि प्रस्तावित प्रोपर्टी प्रस्ताव के समय उपर्युक्त विवरण के अनुसार सुसज्जित नहीं की गई है, यदि प्रोपर्टी स्वामी को आशय-पत्र दिया जाता है तो प्रोपर्टी स्वामी को शपथ-पत्र देना होगा कि वह आशय-पत्र जारी होने की तारीख से 30 दिन के भीतर प्रस्तावित परिसर को सुसज्जित करवाएगा ।

- c) परिसर स्वामी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सभी संबद्ध प्राधिकरणों/संघों/वैधानिक निकायों से परिसर को गेस्ट हाऊस के रूप में उपयोग करने की सहमति/अन्मति, यदि कोई हो, प्राप्त करेगा।
- d) परिसर स्वामी प्रोपर्टी का स्पष्ट टाइटिल धारक/प्रामाणिक पट्टा करार धारक होना चाहिए।
- e) परिसर स्वामी इंडियन ऑयल के साथ लीज अथवा सब-लीज पट्टानाम करने के लिए तैयार होना चाहिए।
- f) परिसर स्वामी सभी वैधानिक कर, उपकर तथा शुल्क इत्यादि जो परिसर से संबंधित हों जैसे निगम कर, सम्पत्ति कर आदि को वहन करने के लिए सहमत होना चाहिए।
- g) प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तारीख से 4 (चार) माह की अविध तक मान्य होगा। इच्छुक पार्टियों को उपर्युक्त अर्हताओं की पूर्ति के समर्थन में प्रथम दृष्टया दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए। इंडियन ऑयल को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तावित परिसर का प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर मूल्यांकन करने तथा आवश्यकतानुसार परिसर का मुआयना करने का अधिकार सुरक्षित होगा। प्राप्त हुए अभिरूचि की अभिव्यक्ति के प्रस्तावों का समिति द्वारा हमारी आवश्यकतापूर्ति हेतु मूल्यांकन किया जाएगा। सभी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति पर समिति का निर्णय अन्तिम तथा बाध्यकारी होगा आगे विचार केवल इंडियन ऑयल के विवेक पर होगा।

8	प्रस्ताव की प्रस्तुति	परिसर के मालिक अथवा उनके प्रतिनिधि अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। यदि आवेदन प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसके साथ इस संबंध में संपत्ति के स्वामी का प्राधिकार पत्र संलग्न किया जाए। यदि आवेदन के साथ संपत्ति के स्वामी का प्राधिकार पत्र संलग्न नहीं किया गया है तो उस आवेदन को अमान्य समझा जाएगा। इंडियन ऑयल द्वारा गेस्ट हाऊस हेतु परिसर के पट्टे के इस लेनदेन की एवज में परिसर के स्वामी अथवा उसके प्रतिनिधि को कोई दलाली (कमीशन) नहीं दिया जाएगा।
9	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने वाले प्राधिकारी तथा प्रस्तुति की अन्तिम तिथि	इसमें भाग लेने की इच्छुक उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने वाली पार्टियां संलग्न पिरिशिष्ट-1 में भरकर, पिरिशिष्ट-2 (डिस्क्लेमर) सिंहत इस ऑफर दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ को हस्ताक्षरित तथा सील लगाकर दस्तावेजी प्रमाणों सिंहत अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में डाक/कोरियर के माध्यम से सीलबंद लिफाफे में EOI No. PBSO/GH-Jammu/EOI 1.0 लिखकर तथा लिफाफे पर विषय लिखकर निम्न पते पर दिनांक 23.11.2022 को 17.00 बजे तक पहुंच जाना चाहिए:-मण्डल आई.बी. प्रमुख 'एफ' जम्मू मण्डल कार्यालय, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 22-ओ/बी, रेल हैड, जेडीए कमर्शियल कम्पलेक्स, गांधी नगर, जम्मू तवी-180012. ई.मेल-chaudhurysc@indianoil.in उपर्युक्त देय तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त हुई अभिरूचि की अभिट्यिक्त पर विचार नहीं किया जाएगा । प्रस्ताव के मार्गस्थ अविधि/कोरियर/डाकघर इत्यादि में हुए किसी प्रकार के नुकसान अथवा समय पर प्राप्त न होने/देर से प्राप्त होने/ प्राप्त न होने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन उत्तरदायी नहीं होगा।
10	स्पष्टीकरण	यदि कोई है, श्री हरदीप सिंह सोही, महाप्रबंधक(मा.सं.), पीएसओ से उनकी ईमेल आईडी <u>hardeepss@indianoil.in</u> अथवा लेंडलाईन नं.0172-2712662/मोबाईल नं. 7087035078 पर प्राप्त कर सकते हैं।
11	विशेष हिदायत	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को किसी भी पार्टी की क्षमता तथा सामर्थय का इन-हाऊस सूचना तथा अन्य पहलुओं का प्रयोग करते हुए आकलन करने तथा किसी अथवा प्राप्त सभी अभिरुचि की अभिव्यक्ति को बिना कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

मूल्यांकन के दौरान पार्टियों से प्रस्तुत किए गए उनके विवरण के समर्थन में मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा आधारभूत सुविधाओं तथा दस्तावेजी प्रमाण के मूल्यांकन के उपरांत कीमत (पट्टा किराया प्रतिमाह) केवल संक्षिप्त सूचीबद्ध पार्टियों से ही लिया जाएगा। कीमत प्रस्तुत करने के लिए पार्टियों को अलग से सूचित किया
जाएगा।

ईओआई नं.: पीएसओ/एचआर/जेडी	ओ / ईओआई-जीएच जम्मू / 2022-2
देय तिथि एवं समय	(17.30 बजे)

संलग्नक–1

जम्मू में अतिथि गृह के लिए रुचि की अभिव्यक्ति

कृपया प्रत्येक आवश्यकता/जानकारी के अधीन वेन्डर का उत्तर भरें और संगत सहायक दस्तावेजों को संलग्न करें

क्र.सं.	मद विवरण	ब्यौरा
1	मालिक का नाम (संयुक्त स्वामित्व के मामले में कृपया सभी नाम विनिर्दिष्ट करें)	
2	मालिक का पता (सम्पर्क <u>विवरण-फोन/मोबाइल/ई-मेल</u> के साथ)	
3	परिसर का स्थान (पूरे पते के साथ)	
4	परिसर का विवरणः	
	क) बिल्डिंग एरिया (प्लिन्थ एरिया एवं कॉर्पेट एरिया)	
	ख) निर्माण का वर्ष (पूर्णता प्रमाणपत्र दें)	
	ग) फ्लोर की सं.	
	घ) स्ट्रक्चर का प्रकार	
	ङ कमरों की सं. (फ्लोर—वार) संलग्न शौचालय के साथ)	
	च) फ्रंट रोड चौड़ाई	
	छ) उपलब्ध पार्किंग एरिया	
	ज) परिसर के भीतर गार्डन/लॉन एरिया	
	झ) बच्चों के खेलने / परिसर के भीतर बैठने के लिए खुला स्थान	
5	होलिडे होम के रूप में परिसर को परिचालित करने के लिए निगम क्लीयरेंस	
6	पावर बैक—अप एवं क्षमता, यदि उपलब्ध है	
7	संपत्ति का स्पष्ट हक विलेख (कॉपी संलग्न करें)	
8	फर्निशिंग्स/फिटिग्स/फिक्चर, यदि कोई हो, का विवरण	
9	इंडियनऑयल के साथ लीज डीड हस्ताक्षर करने में सहमत	
10	कोई कोई विवरण जो जरूरी है, दिया जा सकता है	

ईओआई नं.: पीएसओ / एचआर / जेडीओ / ईओआई – जीएच जम्मू / 2022 – 23 देय तिथि एवं समय......(17.30 बजे)

संलग्नक-2

डिस्क्लेमेयर (अस्वीकरण)

इस दस्तावेज में दी गई जानकारी गैर–बाध्यकारी ईओआई तैयार करने में आवेदकों की सहायता के लिए तैयार की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है किः

इस रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) का प्रयोजन आईओसीएल कर्मचारियों को अतिथि गृह सुविधा के रूप में परिचालन के लिए किराये पर अपनी संपत्ति देने के इच्छुक पार्टियों से उत्तर आमंत्रित करना है। इस संबंध में प्राप्त सभी डाटा / दस्तावेज को गोपनीय माना जाएगा और इसका उपयोग केवल हमारे आंतरिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। डाटा / दस्तावेज जमा करने का मतलब यह नहीं है कि पार्टी योग्य है और / या जॉब प्रदान करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इंडियनऑयल) के लिए बाध्यकारी नहीं है।

इंडियनऑयल किसी या सभी ईओआई को स्वीकार करने के लिए बाध्यकारी नहीं है और बिना कोई कारण बताए प्राप्त हुई किसी या सभी ईओआई को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखता है। किसी भी आवेदक का ईओआई निरस्त होने पर इंडियनऑयल या इसके अधिकारियों, कर्मचारियों, उत्तराधिकारी या एसाइनी के खिलाफ कोई शिकायत या दावा नहीं होगा। इंडियनऑयल ईओआई जमा करने वाले आवेदकों के अलावा इकाईयों से भी प्रस्ताव आमंत्रित करने का हकदार होगा। प्रत्येक प्रतिवादी रूचि की अभिव्यक्ति तैयार करने और जमा करने या अनुवर्ती प्रतिउत्तर या किसी प्रतिवादी के तरफ से पहल में उपार्जित शुल्क, लागत एवं व्यय के लिए एकमात्र जिम्मेदार रहेगा। इंडियनऑयल ईओआई प्रक्रिया के संबंध में किसी भी शुल्क, लागत, व्यय, हानि एवं किसी भी प्रकार की क्षति के लिए किसी भी प्रतिवादी के प्रति किसी भी परिस्थिति में जिम्मेदार नहीं होगा। न तो इंडियनऑयल और न ही इसके अधिकारी एवं कर्मचारी किसी भी कानून के तहत किसी भी इच्छुक पार्टी या किसी भी संस्था के लिए अनुबंध, अपकृत्य, बहाली सिद्धांत या अन्यायपूर्ण संवर्धन या अन्यथा किसी भी हानि, व्यय या क्षति जो हो सकती है, के साथ इस दस्तावेज या किसी भी मामले में उपार्जित या पीड़ित होना जो इस दस्तावेज का हिस्सा माना जा सकता है, के लिए उत्तरदायी होंगे।

इसके अलावा, यह रूचि की अभिव्यक्ति निविदा प्रक्रिया नहीं है और यह केवल इच्छुक पार्टियों से उत्तर प्राप्त करने की प्रक्रिया है। इंडियनऑयल रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण के बाद अपने विवेकानुसार उस पर आगे कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है। इंडियनऑयल अपने पूर्ण विकेकानुसार किसी भी दायित्व के बिना या बिना कोई कारण बताएं रूचि की अभिव्यक्ति जमा करने के लिए इन दिशानिर्देशों में कोई भी बदलाव, अपडेट, निरस्त, संशोधित या पूरक करने का अधिकार रखता है।

(संपत्ति मालिक के हस्ताक्षर एवं मोहर)